

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित आदेश की कम कीमत और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी, उत्तरपुर (पलामू)।

विविध वाद संख्या-¹⁸⁰478/2017

आदेश

(धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

राजू प्रसाद वगैरह ————— प्रथम पक्ष

बनाम

प्रमोद प्रसाद वगैरह ————— द्वितीय पक्ष

P-37
14-6-18

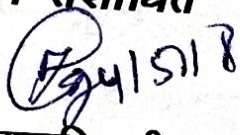
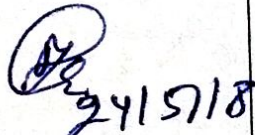
24.05.2018

यह प्रक्रिया आवेदक 1. राजू प्रसाद 2. धर्मेन्द्र प्रसाद, दोनों के पिता-स्व० लक्ष्मी साव, ग्राम-नावाटांड, पो० + थाना-नौडीहा बाजार, जिला- पलामू ने 1. प्रमोद प्रसाद 2. विनोद प्रसाद 3. संजय प्रसाद तीनों के पिता- स्व० नंदकिशोर प्रसाद सभी ग्राम-नावाटांड, पो० + थाना-नौडीहा बाजार, जिला- पलामू के विरुद्ध मौजा- नावाटांड, खाता सं०- 103, प्लॉट सं०- 338, रकबा- 0. 1/2 एकड़, चौहद्दी, उत्तर-मदन साव, दक्षिण- रास्ता, पूरब- बजरंगी साव वगैरह, पश्चिम- धर्मेन्द्र साव नीज प्रथम पक्ष लिए विवादी भूमि के ऊपर धारा 144 दं०प्र०सं० की प्रक्रिया कायम कर उभय पक्षों को विवादी भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए कारण पृच्छा की मांग की गयी। उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा दाखिल किये।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने कारण पृच्छा के अनुरूप बहस करते हुए बताया कि विवादी भूमि गत सर्वे खतियान में हंसराज सोनार वल्द पुनीत सोनार कौम सोनार साकिन देह दर्ज है। हंसराज सोनार का सम्पत्ति का बंटवारा खेलावन साव के पुत्र का बंश नहीं होने के

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आ. कार. टिप्पणी सहित
1	2	
	कारण आपसी बटवारा इशरी साव, दयाल साव एवं रामप्रसाद साव में हुआ। इशरी साव को प्लॉट सं०-338 में 1 डी० भूमि मिला जो इशरी साव के मृत्यु के बाद उनके पुत्र रामचंद्र साव एवं लक्ष्मी साव दखल- कब्जे आये और आपस में बटवारा किये और बटवारा में लक्ष्मी साव को 0.01/2 एकड़ भूमि हिस्सा में मिला तथा लक्ष्मी साव के मृत्यु के बाद लक्ष्मी साव के सम्पत्ति पर राजू प्रसाद और धर्मेंद्र प्रसाद का दखल- कब्जा एवं स्वामित्व चला आ रहा है तथा प्रश्नगत भूमि का सरकारी रसीद प्रथम पक्ष के पूर्वज के नाम से निर्गत होते चला आ रहा है। विपक्षी के द्वारा के प्रश्नगत भूमि को बल पूर्वक हथियाना चाहते थे जिसके कारण विवाद हुआ और नौडीहा बाजार थाना में काण्ड सं०-18/18 दिनांक 23.03.2018 को दर्ज हुआ। अतः निर्गत नियम प्रथम पक्ष के पक्ष में रिक्त तथा द्वितीय पक्ष के पक्ष में निर्पेक्ष करने की कृपा की जाय। द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि यह वाद पूर्व से बने मकान पर पर प्रारम्भ कर दी गयी है जो धारा 144 दं० प्र० सं० की प्रक्रिया मकान पर कायम नहीं किया जा सकता है। विवादी भूमि उभय पक्ष के खतियानी भूमि है तथा खतियान उभय पक्ष के पूर्वज हंसराज सोनार के नाम से दर्ज है। द्वितीय पक्ष दयाल सोनार के पत्नि रामकली देवी से 1/2 डी० भूमि कय किये हैं। ज्ञात हो कि इशरी सोनार के दो पुत्र रामचंद्र सोनार एवं लक्ष्मी सोनार हुए। प्रथम पक्ष लक्ष्मी सोनार के वंशज हैं तथा द्वितीय पक्ष रामचंद्र सोनार के वंशज हैं जो 1 डी० भूमि का आध-आधा के हिस्सेदार हैं। रामकली देवी के द्वारा दया देवी के नाम किये गये विक्रि का	



की कम ख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	डिड नं०-386 दिनांक 12.01.1978 है तथा केवाला के समय से द्वितीय पक्ष का दखल - कब्जा कायम है एवं सरकारी रसीद कटाते चले आ रहे हैं। अतः प्रथम पक्ष के पक्ष में निर्गत नियम निर्पक्ष तथा द्वितीय पक्ष के पक्ष में रिक्त करने कि कृपा की जाय। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अभिलेख में संलग्न कारण पृच्छा एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया। अवलोकनोपरांत पाया कि उभय पक्ष एक ही वंशवृक्ष के संतान हैं तथा उभय पक्षों के पूर्वजों के द्वारा खतियानी भूमि का आपसी बटवारा किया गया है। विवाद का मुख्य कारण भूमि का मापी नहीं होना प्रतित होता है। यदि आवेदक चाहें तो आपसी बटवारा से प्राप्त भूमि का मापी अंचल कार्याल नौडीहा बाजार से करा सकते हैं। अतः इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित  अनुमण्डल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।  अनुमण्डल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।	